

पत्र सं०- विधि 4(2) अधिनियम संशो० / फार्म-D / 391

/ राज्य कर।

कार्यालय- आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश,
(विधि अनुभाग)

लखनऊ::दिनांक:: 20 सितम्बर, 2025

समस्त जोनल अपर आयुक्त,
समस्त संयुक्त आयुक्त (कार्यपालक)
समस्त संयुक्त आयुक्त(कारपोरेट सर्किल)
समस्त कर निर्धारण अधिकारी
राज्य कर, उत्तर प्रदेश।

विषय:- नैचुरल गैस पर करदेयता के सम्बन्ध में।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिनांक-01.07.2017 से उ०प्र० माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 लागू होने के उपरान्त कराधेय माल का विनिर्माण करने वाली इकाईयों को CNG से भिन्न नैचुरल गैस की बिक्री किए जाने के सम्बन्ध में निम्नवत् प्रावधान किए गए थे-

1. राज्य सरकार द्वारा जारी विज्ञप्ति संख्या:- KA.NI.-1112/ XI-9(57)/ 17-U.P. Act-5-2008-Order-(34)- 2017 Lucknow, दिनांक 10.08.2017 से उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम एवं नियमावली, 2008 में दी गई व्यवस्था एवं प्राविधानों को निम्नवत् संशोधित किया गया था:-

संशोधन

उक्त अनुसूची में,-

(ख) क्रम संख्या 8 (क) और 8 (ख) की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियों स्तम्भवार रख दी जायेंगी, अर्थात:-

8(क)	कम्प्रेस्ड नैचुरल गैस (CNG) से भिन्न प्राकृतिक गैस, जब उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यापारी की औद्योगिक इकाई को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के अधीन कराधेय माल के विनिर्माण की प्रक्रिया में प्रयोग के लिए कमिश्नर द्वारा विहित प्रमाण पत्र के विरूद्ध विक्रीत किया जाए।	निर्माता या आयातकर्ता	5%
8(ख)	कम्प्रेस्ड नैचुरल गैस (CNG) से भिन्न प्राकृतिक गैस, जब उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन 2017) के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यापारी को ताज ट्रेपेजियम क्षेत्र में स्थित औद्योगिक इकाई द्वारा विनिर्माण की प्रक्रिया में प्रयोग के लिए कमिश्नर द्वारा विहित प्रमाण पत्र के विरूद्ध विक्रीत किया जाए।	निर्माता या आयातकर्ता	5%

इस विज्ञप्ति एवं समसन्दर्भ में जारी परिपत्रों के अनुसार फार्म-डी से आच्छादित CNG से भिन्न नैचुरल गैस की खरीद पर 5 प्रतिशत की रियायती दर से करदेयता की सुविधा हेतु निम्नांकित शर्तें भी लगाई गई थी:-

- (क) व्यापारी को एक औद्योगिक इकाई होनी चाहिए।
- (ख) व्यापारी को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के अन्तर्गत पंजीकृत होना चाहिए।
- (ग) व्यापारी को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के अंतर्गत करयोग्य वस्तुओं का निर्माण करना चाहिए।

यह भी स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के लागू होने के उपरान्त "विनिर्माण" की परिभाषा का अर्थ वही लिया गया था जो कि इस अधिनियम की धारा-2(72) में निम्नवत् परिभाषित है:-

धारा-2 (72) के अंतर्गत "विनिर्माण" से कच्ची सामग्री या इनपुट का ऐसी रीति से प्रसंस्करण अभिप्रेत है, जिसके परिणामस्वरूप सुभिन्न नाम, स्वरूप और उपयोग वाले एक नये उत्पाद का आविर्भाव होता है और "विनिर्माता" पद का तदनुसार अर्थ लगाया जायेगा;

2. अग्रेत्तर राज्य सरकार को विभिन्न औद्योगिक इकाईयों से प्राप्त प्रत्यावेदनों पर सम्यक विचारोपरान्त CNG से भिन्न प्राकृतिक गैस (Natural Gas) पर राज्य सरकार द्वारा जारी (अधिसूचना सं. क0नि0-2-2217/ ग्यारह-9 (57/17-30प्र अधि0-5-2008-आदेश-(157)-2018 दिनांक 14 नवंबर 2018 से CNG से भिन्न प्राकृतिक गैस (Natural Gas) पर VAT की करदेयता को संशोधित करते हुए उ0प्र0 मूल्य संवर्धित कर अधिनियम की अनुसूची-4 के क्रमांक 8(a) एवं 8(b) को निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया गया है:-

क्रम सं.	माल का नाम और विवरण	कर के बिंदु	कर कीदर
8(क)	प्राकृतिक गैस, जिसमें कम्प्रेस्ड नैचुरल गैस (CNG) सम्मिलित नहीं है, जब किसी औद्योगिक ईकाई को रासायनिक उर्वरकों के विनिर्माण की प्रक्रिया में प्रयोग के लिये बिक्रीत किया जाये।	विनिर्माता या आयातकर्ता	14.5%
8 (ख)	प्राकृतिक गैस, जिसमें कम्प्रेस्ड नैचुरल गैस (CNG) सम्मिलित नहीं है, क्रम सं0-8 (क) में वर्णित मामलों के अतिरिक्त।	विनिर्माता या आयातकर्ता	10%

इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना सं. क0नि0-2-2217/ ग्यारह-9 (57/17-30प्र अधि0-5-2008-आदेश-(158)-2018 दिनांक 14 नवंबर 2018 से उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम 2017 की धारा-3-A(1) को समाप्त करते हुए CNG से भिन्न नैचुरल गैस की खरीद पर दिया जाने वाला 5 प्रतिशत अतिरिक्त कर समाप्त कर दिया गया था। इस प्रकार राज्य सरकार के उपरोक्त संशोधन के उपरान्त उ0प्र0 मूल्य संवर्धित कर अधिनियम-2008 के अन्तर्गत प्राकृतिक गैस (Natural Gas) पर कर देयता निम्नवत् संशोधित हो जाती है:-

क्रम सं.	माल का नाम और विवरण	कर के बिंदु	कर कीदर
8(क)	प्राकृतिक गैस, जिसमें कम्प्रेस्ड नैचुरल गैस (CNG) सम्मिलित नहीं है, जब किसी औद्योगिक ईकाई को रासायनिक उर्वरकों के विनिर्माण की प्रक्रिया में प्रयोग के लिये बिक्रीत किया जाये	विनिर्माता या आयातकर्ता	14.5%
8 (ख)	प्राकृतिक गैस, जिसमें कम्प्रेस्ड नैचुरल गैस (CNG) सम्मिलित नहीं है, क्रम सं0-8 (क) में वर्णित मामलों के अतिरिक्त	विनिर्माता या आयातकर्ता	10%
8(ग)	क्रम सं0-8(क) एवं 8(ख) में विवरणित प्रकरणों के अतिरिक्त ऐसी प्राकृतिक गैसों जो कम्प्रेस्ड नैचुरल गैस(CNG) से भिन्न हों।	विनिर्माता या आयातकर्ता	21%

अतः कराधेय माल का विनिर्माण करने वाली इकाईयों को CNG से भिन्न नैचुरल गैस की बिक्री किए जाने की दशा में CNG से भिन्न नैचुरल गैस की बिक्री पर कर देयता एवं फार्म-डी की प्रयोज्यता को स्पष्ट किये जाने हेतु तथा एकरूपता के उद्देश्य से एतद् द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा दिनांक 14-11-2018 से किए गए संशोधन के उपरान्त प्राकृतिक गैस (Natural Gas) के सम्बन्ध में फार्म-डी की प्रयोज्यता समाप्त हो चुकी है तथा CNG से भिन्न प्राकृतिक गैस (Natural Gas) पर कर की देयता उ0प्र0 मूल्य संवर्धित कर अधिनियम की अनुसूची-4 के संशोधित क्रमांक 8(क), 8(ख) एवं 8(ग) के अनुसार है।

सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा उपरोक्तानुसार विधिक स्थिति के आलोक में समस्त अपेक्षित प्रमाण प्राप्त करते हुए ही कर निर्धारण एवं अन्य विधिक कार्यवाहियाँ सम्पादित की जाएगी।

Digitally signed by
NITIN BANSAL

Date: 30-09-2025

16:42:49 (नितिम बंसल)

आयुक्त, राज्य कर,
उत्तर प्रदेश।